

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/आर-85/2025- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2025

डा० चन्द्रमोहन कुमार, सीनियर रेजिडेन्ट, पैथोलॉजी विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना का दिनांक-15.09.2020 से 23.08.2023 तक की अवधि तथा दिनांक-24.08.2023 से 01.02.2024 तक प्रभार रहित अवधि को निम्नवत् विनियमित किया जाता है:-

1.	दिनांक-15.09.2020 से 23.08.2023 तक कुल-1073 (एक हजार तिहत्तर) दिन	
i.	दिनांक-15.09.2020 को	- कर्तव्य अवधि के रूप में।
ii.	दिनांक-16.09.2020 से 23.08.2023 तक	- अध्ययन अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में (विभागीय अधिसूचना संख्या-2045(2) दिनांक-30.11.2011 के आलोक में)।
2.	दिनांक-24.08.2023 से 01.02.2024 तक कुल-162 (एक सौ बासठ) दिन	
i.	दिनांक-24.08.2023 से 28.08.2023 तक	असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-236 के आलोक में)
ii.	दिनांक-29.08.2023 से 01.02.2024 तक	- पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में (मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग)।

2. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/आर-85/2025- 169(2) पटना, दिनांक 29/01/2025

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: प्राचार्य, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना/डा० चन्द्रमोहन कुमार, सीनियर रेजिडेन्ट, पैथोलॉजी विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

W. K. K. K. K.
सरकार के उप सचिव।